

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, हजारीबाग  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक :

1-6-13

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-64-छोटानागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180789640545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को परिशिष्ट 2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना/64- छोटेनागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180789640545	393.58

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ तीरानवे लाख अठावन हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 595.00 लाख (पाँच करोड़ पंचानवे लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 2 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव



7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

25

राँची, दिनांक :- 1.6.13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-


26


राँची, दिनांक :- 1.6.13


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव



विभागीय पत्रांक.....**26**दिनांक **1.6.13**

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिय्य,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -789-अनुसचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -64-छोटानागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण

विरत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180789640545

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध 595.00 लाख (पाँच करोड़ पंचानवे लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	31 मार्च 2013 तक व्यय	शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कोनार नहर प्रमंडल-डुमरी	हजारीबाग	कोनार सिंचाई परियोजना	34837.60	52/13.09.1999	24675.22	0.00	393.58	393.58	परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्या हेतु
योग							0.00	393.58	393.58	
आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ तेरानवे लाख अठावन हजार मात्र।										

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस0 के0 शतापथी)

प्रधान सचिव



पत्रांक :- 26

दिनांक 1.6.13


का अनुलग्नक


परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड 49P470180789640545


विपत्र कोड 49P470180/89640545

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण		राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4		5	6
1	कोनार नहर प्रमंडल-डुमरी	कोनार सिंचाई परियोजना	1	RIGHT BRANCH CANAL(KM.6.60 to 21.065)		
			i	Construction of SLR Bridge at km12.65/12.64 of Konar Right Branch Canal.	19.51	
			ii	Construction of Canal from km.19.57 to 19.82, SLR Bridge at Km 19.80 and CD work at Km. 19.675 of KRBC.	25.81	
			iii	Construction of Canal from km.20.78 to 21.065, and CD work at Km. 20.90 of KRBC.	45.15	
			iv	Construction of Canal from km.19.88 to 20.75, SLR Bridge at Km 20.25,20.50 and CD work at Km. 19.875 and 20.325 of KRBC.	41.00	
			v	Construction of Canal from km.20.735 to 20.78,SLR Bridge at Km 14.15/14.16 and 21.05 of KRBC.	14.68	
			vi	Construction of SLR Bridge at km 6.857,11.995/12.077,15.10/15.20,15.50/15.605,17.125/17.25,CD work at Km.10.534,17.575/17.675 and Residual Earth Work from Km.16.725 to 16.975 of Konar Right Branch Canal.	15.00	
			vii	Construction of Acqueduct at 8.714 Km.of RBC.	50.00	
			viii	Construction of Pucca Channel from Km.0.15 to 0.42 and Km.1.60 to 1.85 of Khetko Distributory.	20.00	
			2	Bagodar Branch Canal		
			i	Construction of Acqueduct at 39.25 Km.of BBC.	115.00	
			ii	Construction of SLR Bridges at Km.17.672,19.63/19.64,27.56,31.22,33.897,33.85,36.77/36.675,and 36.908/36.72 BBC.	45.00	
			3	Maintanance of water supply system in divisional colony.	0.93	
			4	R/M of 3 Nos .Inspection Vehicles	1.50	
योग					393.58	
आवंटित राशि – ₹ तीन करोड़ तेरानबे लाख अठावन हजार मात्र।						

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

  
(एस० के० शर्मा)  
प्रधान सचिव